रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2013/फाल्गुन 15, 1934
No. 506]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013/PHALGUNA 15, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2013

का.आ. 544(अ).— यत;, केन्द्रीयें सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संख्या का.आ. 910 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 0.000 किमी से 90.000 किमी (ग्वालियर से मध्यप्रदेश/उत्तरप्रदेश सीमा) तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के आगरा इन्दौर सेक्शन के 103.000 किमी से 610.000 किमी तक, आगरा में 0.000 किमी और इन्दौर-मुम्बई सेक्शन के 0.000 किमी से 12.600 किमी (ग्वालियर-देवास-राऊ वाया इंदौर बाइपास) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत; केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियमों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा सड़क खण्ड की निवल 'शुन्य' हेतु चार या अधिक

933 GI/2013

लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रूपये या अधिक की लागतवाले बाइपासों हेतु नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 103.000 किमी से प्रारम्भ करके राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 के 16.000 किमी पर संयोजन करते हुए, ग्वालियर बाइपास के खण्ड के उपयोग हेतु (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहित करती है, और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या संविदाकार के माध्यम से, उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां:

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
ग्वालियर बाइपास का 32.607 किमी (ग्वालियर जिले में मेहरा गांव के पास)	शून्य

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई हेतु, आधार दर के डेढ़ गुणा के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
ग्वालियर बाइपास का 32.607 किमी (ग्वालियर जिले में मेहरा गांव के पास)	42.033

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 300.93 करोड़ रूपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/711/12-13/सीओ/जीसी-ग्वालियर बाइपास]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2013

S.O. 544(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road wing) number S.O 465 (E) dated 26th April, 2002 and Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 910 (E) dated 21st April, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 90.000 (Gwalior to Madhya Pradesh/ Uttar Pradesh Border) of National Highway No. 75 and from Km 103.000 to Km 610.000 of Agra Indore Section km 0.000 at Agra and from km 0.000 to km 12.600 of Indore-Mumbai Section (Gwalior-Dewas-Rau via Indore Bypass) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with rules of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length nil (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section of Gwalior Bypass taking off at Kilometer 103.000 of National Highway No. 3 and joining at kilometer 16.000 on the National Highway No. 75 (hereinafter referred to as the "said Stretch") in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 32.607 of Gwalior Bypass (near Mehra village in Gwalior district)	Nil

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km 32.607 of Gwalior Bypass (near Mehra village in Gwalior district)	42.033

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 300.93 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/711/12-13/CO/GC-Gwalior Bypass]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.